न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 77 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. लाधाराम पुत्र खीयरा के कायम मुकाम 1 / 1मनजीराम पुत्र लाधाराम 1 / 2आदूराम पुत्र लाधाराम के कायम मुकाम1 / 2 / 1पुरखाराम पुत्र आदूराम 1 / 2 / 2भीयाराम पुत्र आदूराम 2. हरलाल पुत्र विरधाराम 3. नागजीराम पुत्र विरधाराम 4. रामजी पुत्र विरधाराम 5. सताराम पुत्र विरधाराम के कायम मुकाम 5 / 1हीराराम पुत्र सताराम 5 / 2मोहनराम पुत्र सताराम 5 / 3परसूराम पुत्र सताराम जातियान भील निवासीयान जुना पतरासर तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1.तीजोदेवी पत्नी कलूराम जाति भील निवासी जूना पतरासर तहसील व जिला बाड़मेर। 2.तहसीलदार रामसर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रामसर के मूल राजस्व वाद संख्या 15 / 2015 बअनवान तीजोदेवी बनाम लाधाराम के कायम मुकाम वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.2018।

1. वकील श्री राजेन्द्र शर्मा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री अर्जुनराम बोसिया रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 14.05.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि वादीनी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 398, 399 क्रमशः रकबा 36.01 बीघा, 78.12 बीघा कुल रकबा 114.13 बीघा मौजा कोटडिया पटवार क्षेत्र हाथमा तहसील रामसर में आया हुआ है जिसमें वादीनी का 1 / 3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1 / 3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का 1 / 3 हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली से साबित है कि वादीनी अकेली की साक्ष्य ली गई परन्तु प्रतिवादीगण को जिरह हेतु अवसर नहीं दिया तथा न ही प्रतिवादीगण को अपनी साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 12.04.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार रामसर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया, जिस पर तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवारी व आर आई से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया जिस पर हल्का पटवारी ने बाहामी बंटावड़े व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके क स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांटगण से आपत्ति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रिक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारित की गई है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार स्वयं मौके पर नहीं गया। विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किये इसके बावजूद भी 25.06.2018 को डिक्री पारित कर दी गई जो कि न्यायोचित नहीं है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय By Metes & Bounds किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि मामले में अधीनस्थ न्यायालय की प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.03.2018 के निर्देशों के अनुसरण में नियुक्त कमिशनर तहसीलदार रामसर द्वारा मौके पर जाकर By Metes & Bounds विभाजन प्रस्ताव

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

तैयार नही किया बल्कि फर्द मौका दिनांक 13.06.2018 से स्पष्ट है कि प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव आई.एल.आर. सियाणी व पटवारी हल्का हाथमा द्वारा तैयार किया गया है। जिसमें राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नही की गई है तथा तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया है। जबकि तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए। प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव **By Metes & Bounds** सिद्धान्त के आधार पर नहीं किया गया है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा मूल राजस्व वाद संख्या 15/2015 बजनवान तीजाँदेवी बनाम लाधाराम के कायम मुकाम वगैरा निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.06.2018 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर पुनः निर्णय पारित करे।

14/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/5/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner